

राजस्थान सरकार  
सांख्यिकी विभाग

क्रमांक:-एफ 5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/185

दिनांक:- 09/02/20


परिपत्र

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त से प्राप्त अ.शा. पत्र के दिशानिर्देशानुसार भारत की जनगणना-2021 को मध्यनजर रखते हुये राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.10.2019 द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

कोविड-19 महामारी के कारण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/1662 दिनांक 10.08.2020 द्वारा राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2019 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2020 कर दी गई।

कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुये महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को पुनः 31 दिसम्बर, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया जाता है।

इसे आवश्यक समझा जावे।

  
(निरजन आर्य)  
मुख्य सचिव




प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान गजट में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
4. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक I-11012/1 /2020/जनगणना दिनांक 25.01:2021 के संबंध में सूचनार्थ।

  
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव





सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 21, बुधवार, शके 1942-फरवरी 10, 2021  
Magha 21, Wednesday, Saka 1942- February 10, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सांख्यिकी विभाग

परिपत्र

जयपुर, फरवरी 09, 2021

संख्या प.5(64)/सीओआई/सम/डीईएस:- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त से प्राप्त अ.शा. पत्र के दिशानिर्देशानुसार भारत की जनगणना- 2021 को मध्यनजर रखते हुये राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.10.2019 द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

कोविड-19 महामारी के कारण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/1662 दिनांक 10.08.2020 द्वारा राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2019 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2020 कर दी गई।

कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुये महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को पुनः 31 दिसम्बर, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया जाता है।

इसे आवश्यक समझा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
निरंजन आर्य,  
मुख्य सचिव।

6823

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।